

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

ठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
करण संख्या :- 426/2024
द पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

दीपेन्द्र सिंह पुत्र अजयपाल सिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानगढ़ टाउन।
जितेन्द्र सिंह पुत्र महिपाल सिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानगढ़ टाउन।

बनाम

वादीगण

- अकबर अली पुत्र कुरशैद मोहम्मद जाति राठ निवासी फतेहपुर।
- मोहम्मद तुफैल पुत्र कुरशैद मोहम्मद जाति राठ निवासी फतेहपुर।
- मोहम्मद मुनाफ पुत्र कुरशैद मोहम्मद जाति राठ निवासी फतेहपुर।
- मुश्ताक अली पुत्र मोहम्मद दीन जाति राठ निवासी फतेहपुर।
- लियाकत अली पुत्र सादिक खां जाति राठ निवासी फतेहपुर।
- ईकबाल खान पुत्र मोहम्मद दीन जाति राठ निवासी फतेहपुर।
- ईनायत अली पुत्र मोहम्मद दीन जाति राठ निवासी फतेहपुर।
- नजीरा पत्नी मोहम्मद दीन जाति राठ निवासी फतेहपुर।
- जसविन्द्र कौर पत्नी हरेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला।
- देवेन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला।
- अश्फाक हुसैन पुत्र सादिक खां जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर।
- फिदा हुसैन पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर।
- मुश्ताक अली पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर।
- तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 23.12.2024

राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कन्हेयालाल स्वामी
वकील प्रति.संख्या 1 ता 4, 6 ता 8 एव श्री नक्षत्र सिद्ध वकील प्रतिवादी सं. 9 ता 10 मिन जानिब
मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव
मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 20 एफटीपी के खाता सं. 21/25 खाते का योग 4.264 हेक्ट., चक 20 एफटीपी के
खाता सं. 25/120 खाते का योग 1.012 हेक्ट., चक 20 एफटीपी के खाता सं. 85/76 खाते का
योग 0.506 हेक्ट., चक 20 एफटीपी के खाता सं. 143/84 खाते का योग 1.518 हेक्ट.

1. दीपेन्द्र सिंह पुत्र अजयपाल सिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानगढ़ टाउन:- प.न. 167/258
मु.न. 63 का कि.न. 1/1/0.228, 1/2/0.228 गै.मु. रास्ता 10,11,12/0.759 कुल-1.012 हेक्ट.
नहरी मय गै.मु. रास्ता।

महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जितेन्द्र सिंह पुत्र महीपाल सिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानगढ टाउन:- प.न. 167/258 मु. न. 63 का कि.न. 2/1/0.228, 2/2/0.025 गै.मु.रास्ता 8,9,13/0.759 कुल- 1.012 हेक्. नहरी मय गै.मु. रास्ता।

नजीरा पत्नि मोहम्मदीन 3/7 हि. इकबाल खां पुत्र मोहम्मदीन 4/7 हि. जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर:- प. न. 167/258 मु.न. 63 का कि.न. 3/1/0.228, 3/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 6,7,14,15/1.012 कुल-1.771 हेक्. नहरी मय गै.मु. रास्ता।

देवेन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील हनुमानगढ:- प.न. 166/258 मु.न. 62 का कि.न. 14,17,21,22,23,24/1.518, 15/1/0.191, 15/3/0.025 गै.मु. खाला, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु. खाला कुल- 1.987 मय गै.मु.

जसविन्द्र कौर पत्नि हरेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील हनुमानगढ:- प.न. 166/258 मु.न. 62 का कि.न. 16/1/0.228, 16/2/0.025 गै.मु. खाला कुल-0.253 हेक्. नहरी मय गै.मु. खाला

अशफाक हुसैन 3795/12650 लियाकत अल 1265/12650 पि. सादिक खॉं फिदा हुसैन 253/1265 मुश्ताक अली 506/1265 जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर:- प.न. 167/257 मु. न. 56 का कि.न. 11,19,20,21,22/1.265 कुल-1.265 हेक्. नहरी

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/454 दिनांक 3429 दिनांक 19.08.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तरण दर्ज किया जावे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23/12/2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)

मुख्य न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट
नया दिल्ली